

मद संख्या: 02

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 126 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 19.9.2011 की अनुपालन आख्या

मद सं०	विषय	निर्णय	अनुपालन आख्या
1-	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 19.9.2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	बोर्ड द्वारा दिनांक 19.9.2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्व सम्मति से की गई।	कार्यवाही वांछित नहीं है।
2-	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 19.9.2011 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या।	<p>बोर्ड द्वारा दिनांक 19.9.2011 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या अवलोकित की गई तथा निम्न निर्देश दिये गये :-</p> <p>मा० श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के तृतीय चरण चिन्हित भूमि पर कार्य करने में आने वाली अवरोधों को दूर करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाये।</p> <p>नगर निगम द्वारा सब स्टेशन हेतु भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में शीघ्रता से कार्यवाही की जाये।</p> <p>सिंचाई विभाग से ली जानी वाली भूमि का मूल्यांकन कराकर कब्जा प्राप्त करने हेतु जिला प्रशासन व प्राधिकरण द्वारा प्राथमिकता पर कार्यवाही की जाये।</p>	<p>कार्यवाही वांछित नहीं है।</p> <p>जिला प्रशासन से समन्वय कर कार्यवाही की जा रही है तथापि अवगत कराना है कि मा० श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के तृतीय चरण में 1008 भवनों के निर्माण हेतु प्राधिकरण द्वारा इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना के अन्तर्गत अर्जित राजस्व ग्राम टीला शहवाजपुर की चिन्हित भूमि प्राधिकरण की अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि है, जिसका प्रतिकर भी सम्बन्धित हितबद्ध कृषकों द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। तदोपरान्त भी उनके द्वारा स्थल पर कार्य सम्पादन में व्यवधान/अवरोध यह कहकर किया जा रहा है कि प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में कृषकों द्वारा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका सं० 52708/2011 प्रस्तुत की गयी है जो कि पूर्व से विचाराधीन याचिका सं० 37443/2011 से सम्बद्ध है। यद्यपि मा० न्यायालय द्वारा उक्त याचिकाओं में कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किये गये हैं, परन्तु कृषकों द्वारा प्रस्तुत याचिका में निर्णय होने तक स्थल पर कार्य करने पर प्रतिरोध किया जा रहा है, जिसके कारण स्थल पर कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका।</p> <p>नगर निगम द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।</p> <p>जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा दिनांक 28-3-12 को प्रश्नगत भूमि की दर पर सहमति हेतु दोनों विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गयी, परन्तु भूमि की दर पर सहमति नहीं हो सकी। तत्काल में जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा पत्र दिनांक 31-3-12 के माध्यम से मुख्य अभियन्ता सिंचाई को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए भूमि की दर निर्धारण हेतु दोनों विभागों के उच्चाधिकारी की बैठक करने तथा तब तक भूमि पर सार्वजनिक अवस्थापना कार्य करने एवं उनके रख-रखाव हेतु प्राधिकरण को अनुमति दिये जाने की संस्तुति की गयी, जिसके क्रम में प्राधिकरण द्वारा पत्र सं० 493/12/भू०अ० ००/12, दिनांक 9-4-12 के माध्यम से प्रमुख सचिव सिंचाई से प्रश्नगत</p>

		<p>दिल्ली-यमनोत्री हाईवे के एलाइन्मेंट का इस दृष्टि से परीक्षण कर लिया जाए कि कन्सेशनार्यर द्वारा किसी “कम्पीटिंग रोड” पर आपत्ति न उठाई जावे ।</p> <p>शहर में यातायात व्यवस्था सुदृढ करने हेतु जिन मार्गों पर सेतु निर्माण की आवश्यकता है, उसके लिए सेतु निगम द्वारा सर्वे करा लिया जाये । हिन्दन नदी पर पुल निर्माण, मोहननगर चौराहे व हापुड चुंगी चौराहे पर पुलों के निर्माण हेतु जन प्रतिनिधियों द्वारा आवश्यकता बताई गई, अतः प्रथमतः इन स्थानों पर सेतु निगम द्वारा सर्वे कराया जाये ।</p> <p>गालन्द में सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु नगर निगम को 10 एकड़ भूमि एक सप्ताह में एवं अवशेष भूमि एक पक्ष के अन्दर प्राधिकरण द्वारा हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जाये ।</p> <p>ई0डब्लू0एस0 / एल0आई0 जी0 श्रेणी के भवनों के निर्माण के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार व मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना में दी जा रही छूट को सामानुपातिक रूप से अन्य उच्च श्रेणी के भवनों व सम्पत्तियों के मूल्यांकन में कौंस लोडिंग करने की कार्यवाही की जाये जिससे कि जो छूट इन भवनों के मूल्य में दी जा रही है, उसकी प्रतिपूर्ति प्राधिकरण को हो सके ।</p> <p>गाजियाबाद विकास क्षेत्र में निर्मित इंजीनियरिंग/डेन्टल कालेजों हेतु जिन कालेजों द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है, के प्रस्ताव निर्धारित समयान्तर्गत निरस्त करने की कार्यवाही की जाये ।</p>	<p>भूमि पर सार्वजनिक अवस्थापना के कार्य कराये जाने की अनुमति चाही गयी है । उपसा के अधिकारियों से विचार विमर्श किया जा चुका है । दोनों मार्गों में “कम्पीटिंग रोड” का प्रभाव नहीं पाया गया है ।</p> <p>इस सम्बन्ध में उ0प्र0 राज्य सेतु निगम की रिपोर्ट प्रतीक्षित है । प्राधिकरण द्वारा हिण्डन नदी पर निर्माणाधीन सेतुओं के निर्माण अवधि नवम्बर 2012 को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने की दृष्टि से हिण्डन नदी पर पैन्टून पुल का निर्माण लोक निर्माण विभाग के सहयोग से किया जा रहा है, जिसे दिनांक 15-5-12 तक पूर्ण कर लिया जायेगा ।</p> <p>कुल वांछित भूमि 35 एकड़ में से प्राधिकरण द्वारा 9.73 एकड़ भूमि नगर निगम को हस्तान्तरित कर दी गयी है। शेष भूमि हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।</p> <p>निर्देशानुसार अनुपालन किया जा रहा है ।</p> <p>मोदीनगर महायोजना क्षेत्र में कुल 9 इन्जी0 एवं डेन्टल कालेज कृषि क्षेत्र में स्थित थ, जिसमें से दो कालेजों का भू-उपयोग महायोजना 2021 में स्वतः नालिज पार्क व इन्स्ट्र्यूशनल ग्रीन हो गये हैं। शेष 7 कालेज जो मोदीनगर महायोजना 2021 के अनुसार कृषि क्षेत्र में स्थित हैं, में से तीन कालेजों का भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है तथा चार कालेज जो एक ही संस्था के हैं, के द्वारा चार कालेजों में से एक कालेज बन्द कर दो कालेजों के प्रस्ताव के स्थान पर एक मेडिकल कालेज हेतु प्रस्तावना दिया गया है । इस प्रकार श्री अजीत सिंह जस्सर द्वारा प्रस्तुत तीन कालेजों के भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव तैयार कर पत्रावली हस्ताक्षरार्थ प्रचलित है ।</p> <p>उक्त के अतिरिक्त गाजियाबाद महायोजना 2021 में प्रस्तावित कृषि भू-उपयोग की भूमि पर सुन्दरदीप ग्रुप आफ इन्सीट्यूशन ग्राम डासना में संचालित है, जिसके सम्बन्ध में बोर्ड बैठक दिनांक 25-11-2011 के क्रम में शासनादेश अनुसार प्रस्ताव के कृषि से भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में शासन को पत्र प्रेषित किया गया था । शासन के पत्र दिनांक 13-4-12 द्वारा परीक्षण कर प्रस्ताव चाहा गया है । शासन के आदेश के क्रम में परीक्षण चल रहा है । कम्पाउण्डिंग बाईलाज को प्राधिकरण बैबसाईट</p>
--	--	--	--

		<p>सिटीजन चार्टर में कम्पाउन्डिंग की सीमा, नियम व उपविधि के प्रावधानों का भी उल्लेख किया जाये।</p> <p>गाजियाबाद महायोजना में विसंगतियों के संशोधन हेतु सीटीसीपीओ, प्राधिकरण व एनओसीआरओ सेल के अधिकारी शीघ्र बैठक कर अपना प्रस्ताव तैयार करें एवं इसे आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।</p>	<p>पर अपलोड करा दिया गया है।</p> <p>दिनांक 18-4-12 को बैठक आहूत की गयी, जिसमें गाजियाबाद महायोजना में विसंगतियों को दूर किये जाने हेतु विचार विमर्श हुआ। प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।</p>
3-	शासनादेश संख्या 1106/9-आ-1-(आ0ब0) बोर्ड बैठक/ 2001 दिनांक 01-3-2001 के बिन्दु-18 में इंगित बिन्दुओं पर सूचना।	<p>बोर्ड द्वारा शासनादेश संख्या 1106/9-आ-1-(आ0ब0) बोर्ड बैठक/ 2001 दिनांक 01-3-2001 के बिन्दु -18 में इंगित बिन्दुओं पर दी गयी सूचनाओं का अवलोकन किया गया।</p> <p>यह भी अपेक्षा की गई कि वित्तीय वर्ष 2011-12 के बजट में सरप्लस होने वाली धनराशि का उपयोग मैट्रो की फाईनेन्सिंग हेतु विचार किया जाए।</p> <p>शहर के सुनियोजित विकास हेतु प्राधिकरण की विकसित योजनाओं के अन्तर्गत भूमि के सम्परीक्षण हेतु जी0आई0एस0 तकनीक के साथ-साथ रेवेन्यू प्लान पर गूगल मैप तथा ले आऊट प्लान को भी सुपरइम्पोज किया जाए।</p> <p>पलाईओवर एवं आरओबी0 के निर्माण में साईकिल ट्रैक का प्राविधान सुनिश्चित किया जाए।</p>	<p>मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के समक्ष दिनांक 3-4-12 को डी0एम0आर0सी0 के द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण के उपरान्त वित्त पोषण की व्यवस्था के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही के सन्दर्भ में प्रस्ताव मद सं0..... पर प्रस्तुत है।</p> <p>इन्दिरापुरम वैशाली व कौशाम्बी योजनाओं में कार्यवाही की जा चुकी है। अन्य योजनाओं में प्राधिकरण स्तर पर कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।</p> <p>पलाई ओवर एवं आरओबी0 निर्माण की डिजाईन में आवश्यकता के आधार पर युक्तियुक्त प्राविधान किया जायेगा।</p>
4-	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 में प्रस्तावित संशोधनों को अंगीकार किये जाने के संबंध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 में प्रस्तावित संशोधनों को अंगीकार किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रस्ताव स्वीकार किया गया।	शासन को पत्र सं0 25/नियोजन अनुभाग/2012 दिनांक 21-2-2012 के माध्यम से सूचित किया जा चुका है।
5-	गाजियाबाद में क्रियान्वित की जा रही हाईटैक/ इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजनाओं की प्रगति के संबंध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा गाजियाबाद में क्रियान्वित की जा रही हाईटैक/ इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजनाओं में लाईसेंस की स्थिति, भू-उपयोग परिवर्तन व इस पर आपत्तियों की सुनवाई की कार्यवाही, लैण्ड एसेम्बली, निर्माण एवं विकास की स्थिति व अन्य प्रगति अवलोकित की गई।	अद्यतन प्रगति के सम्बन्ध में प्रस्ताव मद सं0..... पर प्रस्तुत है।
6-	ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 श्रेणी के भवनों, नर्सिंग होम्स व होटल्स की प्रगति के विवरण के संबंध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 श्रेणी के भवनों, नर्सिंग होम्स व होटल्स की प्रगति अवलोकित की गई।	कार्यवाही वांछित नहीं है।
7-	श्री आसिफ रजा जैदी, अवर अभियन्ता के ईलाज पर व्यय राशि का भुगतान किये जाने विषयक।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किया गया।	बोर्ड निर्णय अनुसार अनुपालन हो चुका है।
8-	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत अकेन्द्रीय सेवा के कार्मिकों पर शासन द्वारा	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत	बोर्ड निर्णय अनुसार अनुपालन किया जा रहा है।

	निर्गत पेन्शन नियमावली लागू किये जाने के संबंध में ।	अकेन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों पर शासन द्वारा निर्गत पेन्शन नियमावली लागू किये जाने के संबंध में अंगीकार किये जाने का निर्णय लिया गया ।	
9-	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारियों को मानव हास्पिटल एण्ड लेजर सैन्टर में ईलाज कराने पर भुगतान किये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	कार्यवाही वांछित नहीं है ।
10-	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रवर्तन कार्य/अतिक्रमण व्यवस्था हेतु होम गार्ड्स नियुक्त किये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	बोर्ड निर्णय अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।
11-	संजयनगर योजना हेतु ग्राम ढरगल परगना जलालाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 1092 का अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि का अभी तक अभिनिर्णय घोषित न होने के कारण बदले में 55 प्रतिशत भूमि की मांग किये जाने के संबंध में ।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि समायोजन हेतु वर्तमान योजना में कोई भूमि नहीं है । निर्देश दिये गये कि ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु सुविचारित प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाये ।	विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा ।
12-	प्राधिकरण की मधुबन/ बापूधाम योजना के अन्तर्गत ग्राम सदरपुर के खसरा संख्या 691 की 407 वर्ग मीटर अनार्जित भूमि अवस्थापना/ सुविधाओं के अन्तर्गत आ जाने के कारण उक्त के बदले 50 प्रतिशत विकसित भूमि दिये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	सम्बन्धित हितबद्ध भू- स्वामियों को प्रस्ताव से अवगत कराते हुए सहमति हेतु पत्र दिनांक 31-3-12 प्रेषित किया गया है, जिसपर सहमति प्राप्त होने के पश्चात निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही कर दी जायेगी ।
13-	इन्दिरापुरम योजना शक्ति खण्ड-2 में हाईस्कूल भूखण्ड संख्या-16 व हास्पिटल भूखण्ड पर निर्माण अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गई । यह भी निर्देश दिये गये कि चूंकि प्रकरण शासनादेश से विचलन का है, अतः विचलन के संबंध में संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को संदर्भित कर दिया जाये ।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के क्रम में शासन को पत्र सं० 461/व्यव०अनु०/12 दिनांक 17-1-12 द्वारा सूचना प्रेषित की गयी है ।
14-	अनावासीय सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु प्राधिकरण में प्रचलित टू बिड सिस्टम के अनुसार विक्रीत सम्पत्तियों के विवरण के संबंध में ।	प्रस्ताव अवलोकित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि एक समिति गठित कर प्रस्ताव का सर्किल रेट से तुलनात्मक अध्ययन कर ले एवं यदि कोई संशोधन वांछित हो, तो आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करें ।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के क्रम में उपाध्यक्ष द्वारा सचिव की अध्यक्षता में मुख्य अभियन्ता, टी०पी०/ सी०ए० टी० पी०, वित्त नियंत्रक तथा संयुक्त सचिव-एम की समिति गठित की गयी। समिति द्वारा दिनांक 19-1-12 को आहूत बैठक में संस्तुति दी गयी कि अनावासीय सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु वर्तमान में प्राधिकरण में प्रचलित टू-बिड सिस्टम में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है । समिति की संस्तुति को उपाध्यक्ष द्वारा अवलोकित किया जा चुका है ।
15-	सैक्टर-23 राजनगर, गाजियाबाद स्थित डा० अम्बेडकर भवन बुद्ध विहार की भूमि को नियमित करने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के क्रम में भूमि नियमित किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।
16-	गाजियाबाद विस्तारित विकास क्षेत्र महायोजना-2021 की स्वीकृति के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि महायोजना अन्तर्गत ग्राम समाज भूमि (एल०एम०सी०) को भी प्रदर्शित किया जाये ।	प्राधिकरण की बोर्ड के निर्णय के क्रम में ग्राम हसनपुर लोड़ा के इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के प्रकरण में शासन के निर्णय हेतु प्रकरण सन्दर्भित किया गया है। निर्णय उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।